# 553वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 22 फरवरी 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

**1. <u>Case No 7466/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Distt. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (63000 cum per annum) (Khasra No. 263, 350), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)</u>**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 263, 350), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है । प्रकरण सेक की 541वीं बैठक दिनांक 20/1/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :–

यह रेत खदान भादर नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है । बैठक के दौरान समिति यह पाया कि गुगल इमेज के अनुसार एक रोड़ ब्रिज लीज के बीच में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेत खनन् मार्गदर्शिका 2020 में निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए पुनरिक्षित योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार ब्रिज के कारण सेफ जोन छोडने पर 4.78 हे0. एरिया उपलब्ध होता है जिसमे से 50,190 मी.$^3$ रेत प्रति वर्ष निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर जो डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है वह सत्र 2019–20 की है जिसके अध्याय–12 ''जिले में विधमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची'' में यह खदान दर्शित है तथा इसी डी.एस.आर. के एनेक्ज़र–III एवं IV में नदी से संबंधित विवरण उल्लेखित है । अनुमोदित खनन् योजना के चेप्टर–12 ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. (सत्र 2019–20) का अवलोकन किया तथा यह पाया कि यह डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नही है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नही किया जा सका ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- पुनरीक्षित उत्पादन योजना का विवरण ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- शपथ–पत्र – वृक्षारोपण वन विभाग / वन विकास समिति /ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा तथा तीन वर्ष तक संधारण हेतु आवश्यक बजट भी उनको उपलब्ध कराया जायेगा।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 50,190 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.10 लाख एवं रिकरिग 14.04 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.1.60 लाख :–

| Year | CER Activity | Total Cost ( in Rupees) |
|---|---|---|
| 1 | Whitewash in school building and covid awarness program and disrtibution of mask, sanitizer and handwash Gram- Mudgudi. | 60,000 |
| 2 | Distribution of Poshan Ahar to anganwadi Gram- Mudgudi. | 1,00,000 |
| | **Total CER Cost** | **1,60,000** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7872 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1. | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर) | वेटीवर/खस, नागरमोथा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 300 |
| 2. | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर) | कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 300 |
| 3. | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | जामुन, अर्जुन, खमार, गुलार, कदंब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ। | 6972 |
| 4. | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 300 |
| चूंकि खदान की वैधता 01 वर्ष है अतः समस्त वृक्षारोपण उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाये । | | | 7872 |

**2. <u>Case No 7467/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, DIst. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.981 ha. (69810 cum per annum) (Khasra No. 05), Village – Khairbhar-2, Tehsil - Chandiya, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)</u>**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05), Village - Khairbhar-2, Tehsil - Chandiya,

Dist. Umariya (MP) 6.981 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है । प्रकरण सेक की 541वीं बैठक दिनांक 20/1/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :–

यह रेत खदान भादर नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है । बैठक के दौरान समिति यह पाया कि गुगल इमेज के अनुसार एक रोड़ ब्रिज लीज के दक्षिण में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेत खनन् मार्गदर्शिका 2020 में निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए पुनरिक्षित योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार ब्रिज के कारण सेफ जोन छोडने पर 4.81 हे0. एरिया उपलब्ध होता है जिसमे से 48,100 मी.$^3$ रेत प्रति वर्ष निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर जो डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है वह सत्र 2019–20 की है जिसके अध्याय–12 ''जिले में विधमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची'' में यह खदान दर्शित है तथा इसी डी.एस.आर. के एनेक्ज़र–III एवं IV में नदी से संबंधित विवरण उल्लेखित है । अनुमोदित खनन् योजना के चेप्टर–12 ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. (सत्र 2019–20) का अवलोकन किया तथा यह पाया कि यह डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नही है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नही किया जा सका ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- पुनरीक्षित उत्पादन योजना का विवरण ।

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- शपथ–पत्र – वृक्षारोपण वन विभाग / वन विकास समिति /ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा तथा तीन वर्ष तक संधारण हेतु आवश्यक बजट भी उनको उपलब्ध कराया जायेगा।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 48,100 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.14 लाख एवं रिक्करिग 15.75 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.1.80 लाख :–

| Year | CER Activity | Total Cost ( in Rupees) |
|---|---|---|
| 1 | Provision of a TV set bwith wifi connection and covid awarness program and disrtibution of mask, sanitizer and handwash Gram- Khairbhar. | 80,000 |
| 2 | Distribution of Poshan Ahar to anganwadi Gram- Khairbhar. | 1,00,000 |
| | **Total CER Cost** | **1,80,000** |

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8713 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर) | वेटीवर/खस, नागरमोथा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 4981 |
| 2. | नदी के किनारे | कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य | 3000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर) | स्थानीय प्रजातियॉ । | |
| 3. | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | जामुन, अर्जुन, खमार, गुलार, कदंब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ। | 90 |
| 4. | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य सीानीय प्रजातियॉ । | 642 |
| चूंकि खदान की वैधता 01 वर्ष है अतः समस्त वृक्षारोपण उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाये । | | | 8713 |

**3. <u>Case No 7441/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.260 ha. (78900 cum per annum) (Khasra No. 01), Village – Koylari, Tehsil – Chandia, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)</u>**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village – Koylari, Tehsil – Chandia, Dist. Umariya (MP) 5.260 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशे ाज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है । प्रकरण सेक की 541वीं बैठक दिनांक 20/1/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर प्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / प्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :–

यह कि रेत खदान भाडर नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह अवलोकन किया गया कि नदी के कुछ भाग मे वाटर स्ट्रिम है तथा पश्चिम क्षेत्र मे सहायक नदी भी लीज एरिया मे मिल रही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत सरकार, प्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेत खनन् मार्गदर्शिका 2020 में निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए

पुनरिक्षित योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार सेफ जोन छोडने पर 4.74 हे0. एरिया उपलब्ध होता है जिसमे से 78,900 मी.$^3$ रेत प्रति वर्ष निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर जो डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है वह सत्र 2019–20 की है जिसके अध्याय–12 ''जिले में विधमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची'' में यह खदान दर्शित है तथा इसी डी.एस.आर. के एनेक्ज्र–III एवं IV में नदी से संबंधित विवरण उल्लेखित है । अनुमोदित खनन् योजना के चेप्टर–12 ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. (सत्र 2019–20) का अवलोकन किया तथा यह पाया कि यह डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नही है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नही किया जा सका ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया 7 पेजत खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- पुनरीक्षित उत्पादन योजना का विवरण ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- शपथ–पत्र – वृक्षारोपण वन विभाग / वन विकास समिति /ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा तथा तीन व र्ा तक संधारण हेतु आवश्यक बजट भी उनको उपलब्ध कराया जायेगा।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतो ाजनक पाई गई । खदान संचालन ुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ाजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ठ शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 78,900 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.68 लाख एवं रिकरिंग 12.33 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.1.60 लाख :–

| Year | CER Activity | Total Cost ( in Rupees) |
|---|---|---|
| 1 | Whitewash in school building and covid 8istribut program and 8istribution of mask, sanitizer and handwash Gram- Koylari. | 60,000 |
| 2 | Distribution of Poshan Ahar to anganwadi Gram- Koylari. | 1,00,000 |
| | **Total CER Cost** | **1,60,000** |

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 6648 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत सीान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर) | वेटीवर/खस, नागरमोथा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 2760 |
| 2. | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर) | कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 2500 |
| 3. | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | जामुन, अर्जुन, खमार, गुलार, कदंब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ। | 60 |
| 4. | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य सीनीय प्रजातियॉ । | 220 |
| चूंकि खदान की वैधता 01 वर्ष है अतः समस्त वृक्षारोपण उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाये । | | | 6648 |

**4. <u>Case No 7442/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 20.0 ha. (390000 cum per annum) (Khasra No. 591/1228), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP)</u>**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 591, 1228), Village – Govarde, Tehsil –

Manpur, Dist. Umariya (MP) 20.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय प्र्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई. आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशे ाज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेि ात की गई है। प्रकरण सेक की 541वीं बैठक दिनांक 20/1/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर प्र्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / प्र्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :–

यह रेत खदान भादर नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है । बैठक के दौरान समिति यह पाया कि गुगल इमेज के अनुसार एक रोड़ ब्रिज लीज के बीच में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत सरकार, प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेत खनन् मार्गदर्शिका 2020 में निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए पुनरिक्षित योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार ब्रिज के कारण सेफ जोन छोडने पर 14.98 हे0. एरिया उपलब्ध होता है जिसमे से 2,99,600 मी.$^3$ रेत प्रति वर्ष निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर जो डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है वह सत्र 2019–20 की है जिसके अध्याय–12 ''जिले में विधमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची'' में यह खदान दर्शित है तथा इसी डी.एस.आर. के एनेक्ज़र–III एवं IV में नदी से संबंधित विवरण उल्लेखित है । अनुमोदित खनन् योजना के चेप्टर–12 ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. (सत्र 2019–20) का अवलोकन किया तथा यह पाया कि यह डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नही है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नही किया जा सका ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- पुनरीक्षित उत्पादन योजना का विवरण ।

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- शपथ–पत्र – वृक्षारोपण वन विभाग / वन विकास समिति /ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा तथा तीन वर्ष तक संधारण हेतु आवश्यक बजट भी उनको उपलब्ध कराया जायेगा।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतो ाजनक पाई गई । खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्र्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ाजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ठ शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 2,99,600 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.88 लाख एवं रिकरिग 42.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.40 लाख :–

| Year | CER Activity | Total Cost ( in Rupees) |
|---|---|---|
| 1 | Whitewash in school building, Provision of a TV set bwith wifi connection and covid 10istribut program and 10istribution of mask, sanitizer and handwash Gram- Govarde. | 80,000 |
| 2 | Distribution of Poshan Ahar to anganwadi Gram- Govarde. | 1,00,000 |
| | **Total CER Cost** | **2,40,000** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 25000 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत सीान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नदी के किनारे | वेटीवर/खस, नागरमोथा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 11724 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर) | । | |
| 2. | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर) | कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 11000 |
| 3. | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | जामुन, अर्जुन, खमार, गुलार, कदंब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ। | 276 |
| 4. | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य सीनीय प्रजातियॉ । | 2000 |
| चूंकि खदान की वैधता 01 वर्ष है अतः समस्त वृक्षारोपण उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाये । | | | 25000 |

**5. <u>Case No 7465/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.744 ha. (57440 cum per annum) (Khasra No. 29/1, 29/2), Village – Kodar, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.).</u>**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/1, 29/2), Village – Kodar, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 5.744 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशे ाज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय प्र्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई. आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है। प्रकरण सेक की 541वीं बैठक दिनांक 20/1/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर प्र्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / प्र्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :–

यह रेत खदान भादर नदी पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है । बैठक के दौरान समिति यह पाया कि गुगल इमेज के अनुसार एक रोड़ ब्रिज लीज के बीच में

स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत सरकार, प्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेत खनन् मार्गदर्शिका 2020 में निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए पुनरिक्षित योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार ब्रिज के कारण सेफ जोन छोडने पर 3.60 हे0. एरिया उपलब्ध होता है जिसमे से 39,600 मी.$^3$ रेत प्रति व ा निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर जो डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है वह सत्र 2019–20 की है जिसके अध्याय–12 ''जिले में विधमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची'' में यह खदान दर्शित है तथा इसी डी.एस.आर. के एनेक्ज़र–III एवं IV में नदी से संबंधित विवरण उल्लेखित है । अनुमोदित खनन् योजना के चेप्टर–12 ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म. प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. (सत्र 2019–20) का अवलोकन किया तथा यह पाया कि यह डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नही है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नही किया जा सका ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में ाामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- पुनरीक्षित उत्पादन योजना का विवरण ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- शपथ–पत्र – वृक्षारोपण वन विभाग / वन विकास समिति /ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा तथा तीन वर्ष तक संधारण हेतु आवश्यक बजट भी उनको उपलब्ध कराया जायेगा।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतो ाजनक पाई गई । खदान संचालन ुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ाजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशि ट ार्तो एवं स्टेण्डर्ड ार्तो संलग्नक–ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व प्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 39,600 मी.$^3$ प्रति व ा।

2. प्र्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.00 लाख एवं रिकरिंग 13.43 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख :–

| Year | CER Activity | Total Cost ( in Rupees) |
|---|---|---|
| 1 | Whitewash in school building, Provision of a TV set bwith wifi connection and covid 13 istribut program and 13 istribution of mask, sanitizer and handwash Gram-Kodar. | 60,000 |
| 2 | Distribution of Poshan Ahar to anganwadi Gram- Kodar. | 1,00,000 |
| | **Total CER Cost** | **1,60,000** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 7500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत सीन | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की ओर) | वेटीवर/खस, नागरमोथा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 4025 |
| 2. | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर) | कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 3000 |
| 3. | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | जामुन, अर्जुन, खमार, गुलार, कदंब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ। | 75 |
| 4. | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य सीनीय प्रजातियॉ । | 400 |
| चूंकि खदान की वैधता 01 वर्ष है अतः समस्त वृक्षारोपण उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाये । | | | 7500 |

**6. <u>Case No 7447/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 9.50 ha. (95000 cum per annum) (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP)</u>**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil –

Manpur, Dist. Umariya (MP) 5.744 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय प्र्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई. आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशे ाज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेि ात की गई है । प्रकरण सेक की 541वीं बैठक दिनांक 20/1/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर प्र्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक / प्र्यावरण सलाहकार द्वारा रेत खदान के बारे में निम्न प्रमुख जानकारी दी गई :–

यह कि रेत खदान सोन नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। बैठक के दौरान समिति ने यह अवलोकन किया गया कि नदी के कुछ भाग मे वाटर स्ट्रिम है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसके लिए भारत सरकार, प्र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रेत खनन् मार्गदर्शिका 2020 में निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए पुनरिक्षित योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार सेफ जोन छोडने पर 0.80 हे0. एरिया उपलब्ध होता है जिसमे से 87,000 मी.$^3$ रेत प्रति व र्ा निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर जो डी. एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है वह सत्र 2019–20 की है जिसके अध्याय–12 ''जिले में विधमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टो की सूची'' में यह खदान दर्शित है तथा इसी डी.एस. आर. के एनेक्ज्र–III एवं IV में नदी से संबंधित विवरण उल्लेखित है । अनुमोदित खनन् योजना के चेप्टर–12 ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उमरिया, म.प्र., द्वारा किया गया है। समिति ने अपलोड की गई डी.एस.आर. (सत्र 2019–20) का अवलोकन किया तथा यह पाया कि यह डी. एस. आर. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नही है। अतः समिति द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुरूप एप्राजल नही किया जा सका ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में ाामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- पुनरीक्षित उत्पादन योजना का विवरण ।

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- शपथ–पत्र – वृक्षारोपण वन विभाग / वन विकास समिति /ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा तथा तीन वर्ष तक संधारण हेतु आवश्यक बजट भी उनको उपलब्ध कराया जायेगा।
- समिति द्वरा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतो ाजनक पाई गई । खदान संचालन ुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय अपनाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ाजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ब अनुसार निम्नानुसार पूर्व प्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 87,000 मी.$^3$ प्रति व ा।
2. प्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.68 लाख एवं रिक्ररिग 20.88 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.00 लाख :–

| Year | CER Activity | Total Cost ( in Rupees) |
|---|---|---|
| 1 | Whitewash in school building and covid 15 istribut program and 15istribution of mask, sanitizer and handwash Gram- Govarde. | 1,00,000 |
| 2 | Distribution of Poshan Ahar to anganwadi Gram- Govarde. | 1,00,000 |
| | **Total CER Cost** | **2,00,000** |

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 6648 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत सीान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नदी के किनारे पर (रेत खनन | वेटीवर/खस, नागरमोथा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 2760 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | क्षेत्र की ओर) | | |
| 2. | नदी के किनारे पर (रेत खनन क्षेत्र की दूसरी ओर) | कटंग बांस, जामुन, अर्जुन, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 2500 |
| 3. | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | जामुन, अर्जुन, खमार, गुलार, कदंब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ। | 60 |
| 4. | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 220 |
| चूंकि खदान की वैधता 01 वर्ष है अतः समस्त वृक्षारोपण उपरोक्तानुसार प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाये । | | | 6648 |

**7. <u>प्रकरण क्रमांक 8978/2022 – श्री हेमंत कुमार ग्राम – गहोरा, तहसील – ईशगढ़, जिला – अशोकनगर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 387, रकबा 2.689 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 27,075 मी.$^3$, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 387, रकबा 2.689 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 436 दिनांक 27/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 41.187 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, दक्षिण दिशा में 133 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं दक्षिण–पूर्व में 145 मीटर पर जल संरचना है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

2. खदान के दक्षिण दिशा में 133 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं दक्षिण–पूर्व में 145 मीटर पर जल संरचना है, अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 14 खदान स्वीकृत/संचालित है, अतः ई. आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

**8. <u>प्रकरण क्रमांक 8985/2022 – श्री मनोज शर्मा, ग्राम मंधपुर, तहसील बाक्स्वहा, जिला–छतरपुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 155/4, रकबा 1.330 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,001 मी.$^3$, ग्राम मंधपुर, तहसील बाक्स्वहा, जिला–छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 155/4, रकबा 1.330 हेक्टेयर, ग्राम मंधपुर, तहसील बाक्स्वहा, जिला–छतरपुर (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 23 दिनांक 07/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 5.316 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, पश्चिम दिशा में 33 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 423 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 296 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, उत्तर दिशा में 350 मीटर पर तालाब है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. उत्तर पूर्व दिशा में 296 मीटर पर प्राकृतिक जल संरचना एवं उत्तर दिशा में 350 मीटर पर तालाब है, अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदाने स्वीकृत है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

**9. <u>प्रकरण क्रमांक 8992/2022 – श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी ग्राम पनगदीकला, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 8(पी), रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 11,000 मी.$^3$, ग्राम पनगदीकला, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 8(पी), रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम पनगदीकला, तहसील सिरमोर, जिला–रीवा (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 40 दिनांक 07/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 3.851 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में लगा हुआ पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 435 मीटर पर प्राकृतिक नाला, एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में आबादी है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन** – 11,000 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.20 लाख एवं रिक्रुरिंग राशि रू. 03.68 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख :–

| साल | सी. ई. आर. गतिविधि | कुल दर |
|---|---|---|

| | | (रू में) |
|---|---|---|
| 1 | फल देने वाले पौधें, (पौधें की संख्या 200, दर–50रू प्रति पौधा) इमली, आंवला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ग्रम पनगडी कलॉ में एक वर्ष में वितरित किये जाएंगे। (यह गतिविधि मध्य प्रदेश सरकार की ''अंकुर योजना'' के तहत की जाएगी।) | 10,000/– |
| 2 | हर साल ग्रम पंचायत पनगडी कलॉ में ग्रमीणों की सामान्य चिकित्सा जांच के लिए विशेष रुप से मलेरिया, मधुमेह, रक्तचाप के लिए जागरुकता सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जावेगा और इस शिविर के दौरान मौखिक रुप से ग्रमीणों में स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा की जावेगी। | 25,000/– |
| 3 | ग्रम पनगडी कलॉ में पूरक पोषण आहार का वितरण किया जावेगा। | 65,000/– |
| योग | | 1,00,000/– |

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 1200 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | नीम, पीपल, शीशम, बरगद, आंवला, कटंग बांस, चिरोल, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 950 |
| 2 | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | नीम, करंज, आम, सीताफल, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 50 |
| 3 | ग्रमवासियों मे वितरण हेतु | आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, गुआवा, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 200 |
| | | **योग** | **1200** |

**10. <u>प्रकरण क्रमांक 8973/2022 – श्री मंयक अग्निहोत्री, 555 कलानी नगर, जिला – इंदौर (म.प्र.) मुरूम क्वेरी, खसरा नं. 303/1, रकबा 1.820 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10,000 मी.$^3$, ग्राम हिंगोनियाखुर्द, तहसील हटोद, जिला– इंदौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 303/1, रकबा 1.820 हेक्टेयर, ग्राम हिंगोनियाखुर्द, तहसील हटोद, जिला– इंदौर (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन

मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 2687 दिनांक 07/09/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल में कुछ पेड़ है, लीज के उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा तक एक कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में 67 एवं 230 मीटर पर नदी है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरूम की खदान होने के कारण ब्लास्टिंग नही करेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार खनन् क्षेत्र में स्थित पेड़ों एवं झाडियों की संख्य, उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गोलाई का विवरण ।
- ✓ यह मुरूम क्वेरी है, अतः बचन पत्र लीज एरिया स्थित पेड़ों को नहीं काटेंगे ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों के वृक्षारोपण की योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **मुरूम** – 10,000 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.54 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.41 लाख :–

| | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| आगमी 05 वर्ष तक | हिंगोनियाखुर्द के ग्रामीणों को पपीता,**मुनगा**, इमली, आंवला,**कटहल**, संतरा और आम आदि 220 फल देने वाले एवं **[सेस्बनिआ सेस्बन , ग्लिरिसिडिया**चारे की प्रजातियांको रोपण के लिए वितरण। *(कुल 207 परिवार और 1086 जनसंख्या)* | 11,000/- |
| | गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 2 पंखे और 2 ब्लैकबोर्ड लगाने के साथ मरम्मत और सफेदी करना। | 30,000/- |
| योग | | **41,000** |

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 2300 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | **बैरियर जोन में** | चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, सफेद कैस्टर, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 1000 |
| 2 | **परिवहन मार्ग में** (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | *करंज, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू* एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ आदि ट्री–गार्ड के साथ । | **580** |
| 3 | **ग्राम हिंगोनियाखुर्द क्षेत्र में ग्राम वासियो एवं पंचायत से परामर्श लेकर** | *करंज, आवला, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, सिस्सू* एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ आदि। | **520** |
| 4 | **हिंगोनियाखुर्दकेविद्यालयपरिसर** | *करंज, चिरोल, पीपल, नीम, सिस्सू* एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ आदि। | **200** |
| | | **कुल वृक्षारोपण** | **2300** |

**11. <u>प्रकरण क्रमांक 8976/2022 – श्री प्रकाश सिंह, 17/16, चित्रगुप्त मार्ग, सोमवारिया बाजार, तहसील एवं जिला – शाजापुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 157,158, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–12,000 मी.$^3$, ग्राम ईमलीखेड़ा, तहसील गुलाना, जिला– शाजापुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 157,158, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम ईमलीखेड़ा, तहसील गुलाना, जिला– शाजापुर (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 13/09/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 45 मीटर पर कच्चा रोड, दक्षिण दिशा में 59 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं दक्षिण दिशा में 70

मीटर पर कच्चा रोड़ है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों के वृक्षारोपण की योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/2/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन** –12,000 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.30 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.57 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख :–

| | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| आगमी 05 वर्ष तक | ग्राम इमलीखेड़ा में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए १ वर्ष के लिए गोद लिया जावेगा | 50,000/- |
| | **योग** | 50,000/- |

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम कम से कम 2500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | **बैरियर जोन में** | चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, सफेद कैस्टर, करंज, आंवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **900** |
| 2 | **गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण** | मोलश्री नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, सफेद कैस्टर, करंज, आंवला, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री–गार्ड के साथ | **200** |
| 3 | **परिवहन मार्ग के किनारे** (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | करंज, महुआ, चिरोल, पुत्रंजीवा, जंगल जलेबी, नीम, मोलश्री, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **400** |
| 4 | **ग्राम इमलीखेड़ा क्षेत्र** | करंज, आवला, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, आवला, नीम, मोलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **800** |
| **5** | **ग्रामपंचायतपरिसरमें** | करंज, आवला, महुआ, मोलश्री चिरोल, जंगल जलेबी, आवला, | **200** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | नीम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | |
| | | कुल वृक्षारोपण | **2500** |

**12. <u>प्रकरण क्रमांक 8977/2022 – मेसर्स जीएचबी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट मैनेजरी, श्री अशोक कुमार शर्मा, एएमएल सेंटर 1, महाकली केव्स रोड, ट्रेवेलर होटल के पास, पेपर वर्क फैक्टरी, अंधेरी ईस्ट मुंबई (महाराष्ट्र.) स्टोन एवं मुरूम क्वेरी, खसरा नं. 210, रकबा 2.060 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–80,000 मी.$^3$ एवं मुरूम 17,536 मी.$^3$, ग्राम तनोदिया, तहसील आगर, जिला– आगर मालवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण स्टोन एवं मुरूम उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 210, रकबा 2.060 हेक्टेयर, ग्राम तनोदिया, तहसील आगर, जिला– आगर मालवा (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1346 दिनांक 25/01/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 04.060 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर–पूर्वी दिशा में 380 मीटर पर पक्का रोड़, प्राकृतिक नाला 50 मीटर पर है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों के वृक्षारोपण की योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP)।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–80,000 मी.3 एवं मुरूम–17,536 मी.3 प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.69 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.88 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.65 लाख :–

| आगमी 01 वर्ष तक | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| तनोडिया में जलवायु एवं स्वास्थ्य पर्यावरण से संबंधित पंचायत की मदद से जागरूकता कार्यक्रम | | 15000/- |
| ग्राम तनोडिया में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र को पोषण आहार उपलब्ध एवं आंगनवाड़ी का सौदर्यीकरण कराने के लिए १ वर्ष के लिए गोद लिया जावेगा | | 1,50,000 |
| **योग** | | **1,65,000/-** |

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्र(संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन में | नीम, करंज, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | 850**पौधे** |
| 2 | परिवहन मार्ग में (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | करंज, आवला, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, हर्रा, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री–गार्ड के साथ | **500पौधे** |
| 3 | ग्राम तनोडिया में स्थित राधास्वामी सत्संग परिसर में | करंज, आवला, मौलश्री, चिरोल, जंगल जलेबी, हर्रा, पीपल, पुत्रांजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **350पौधे** |
| 4 | ग्राम तनोडिया में स्तिथ स्टेडियम के परिसरमें | मोलश्री, पुत्रंजीवा, कचनार, कदम्ब करंज, चिरोल, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **800 पौधे** |
| | | **कुल वृक्षारोपण** | **2500** पौधे |

**13. <u>प्रकरण क्रमांक 8990/2022 – श्री ब्रजेन्द्र टेबे, ग्राम एवं तहसील पोल्यकलान, जिला शाजापुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 300, 301, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–8000 मी.$^3$ ग्राम निपनिया हुर–हुर, तहसील सोनकछ, जिला– देवास (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 300, 301, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम निपनिया हुर–हुर, तहसील सोनकछ, जिला– देवास (म.प्र.) पर स्थित है ।

पूर्व में यह प्रकरण प्रस्तावित खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक 8579/21 प्राप्त हुआ था जिसमें एसईएसी की बैठक क्रमांक 515 दिनांक 22/09/21 में Moreover, in the Tehsildar letter vide no. 2127 dated 11.08.21 mentioned that some kachha houses/huts are existed in the south & western side of the lease which are on Govt. Land. Considering 200 m left set back as safety zone as per NGT order in O.A. 304/2019 dated 21.7.20, the lease become non- workable. Thus considering above facts committee after deliberation recommends that under such circumstances this case cannot be considered for grant of EC and case file may be sent to SEIAA for onward necessary action.

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 21/06/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण–पश्चिम दिशा में 34 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 05 मीटर कच्चा रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व मे यह प्रकरण आबादी होने के कारण निरस्त कर दिया गया था । इस प्रकरण मे अब ब्लास्टिंग नही की जावेगी तथा माइनिंग रॉक ब्रेकर के माध्यम से की जायेगी जिस बाबत खनन योजना अनुमोदित करा ली गई है तथा आबादी क्षेत्र से 100 मी. का नॉन माइनिंग झोन छोड दिया गया है। समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे प्रकरण जहां खनन कार्य ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर से किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है वहां डिस्प्ले बोर्ड पर हिन्दी में यह उल्लेखित किया जाये जिससे आस–पास के रहवासियों को इसकी जानकारी हो सके। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों के वृक्षारोपण की योजना तथा छोडे गये माइनिंग झोन मे सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP)।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –8000मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रतिबंधित। रॉक ब्रेकर से ही खनन कार्य किया जाये।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.19 लाखएवं रिकरिंग राशि रू. 03.47 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.35 लाख :–

| | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| आगमाी 05 वर्ष तक | नेपानिया हुर हुर के शाश्कीय प्राथमिक विध्यालय में 20 नग बेंच-डेस्क का वितरण किया जावेग। | 30,000 |
| | मास्क (500 नग ) एवं सेनेटाइजर (100 नग ) का वितरण ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम नेपानिया हुर हुर में किया जावेगा | 05,000 |
| | योग | **35,000** |

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | **वर्ष** | **वृक्षों के नाम** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|
| 1 | **बैरियर जोन में** | *चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, सफेद कैस्टर, करंज,* एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **900** |
| 2 | **परिवहन मार्ग केकिनारे** (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | *करंज, महुआ, चिरोल, पुत्रंजीवा, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू* एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री–गार्ड के साथ | **700** |
| 3 | **गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण** | *आवला, करंज, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू ,* ***सुबबुल,*** एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **600** |
| 4 | **विद्यालय परिसर में** | *जंगल जलेबी, करंज, महुआ, चिरोल, आवला, नीम, सिस्सू* एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ | **300** |
| | | **कुल** | **2500** |

**14.प्रकरण कमांक 8974/2022 – श्री जय दुबे, मकान न. 600, अस्था नगर ग्वारीघास रोड़, जिला जबलपुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 34, रकबा 1.19 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 15,000 मी.$^3$, ग्राम धदरा तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 34, रकबा 1.19 हेक्टेयर, ग्राम धादरा तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) पर स्थित है ।

# 553वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 22 फरवरी 2022

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 3523 दिनांक 23/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 314 मीटर पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया कि खदान क्षेत्र से पग दण्डी निकल रही है तथा एक पुराना पिट है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पिट 2014 से है तथा उन्होने माईन प्लान मे इसको दर्शाया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज एरिया मे दो पेड है जिनको काटा जायेगा तथा उसके एवज मे अतिरिक्त 20 पेडो का प्रस्ताव वृक्षारोपण योजना मे शामिल किया गया है। प्रस्तावित खदान के वन क्षेत्र के समीप होने के कारण चेनल फेन्सिग लगाये जाने के निर्देश भी दिये गये । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों (मोटाई, चौड़ाई एवं लम्बाई सहित) गणना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –15,000मी.3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.78 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

| | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| आगमी 05 वर्ष तक | ग्राम घॉघरा के ऑनवाड़ी केन्द्र पोषण आहार का वितरण । | 60,000 |
| | **योग** | **60,000** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 पौधों का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | शीशू, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 500 |
| 2 | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, नीम, पीपल, बरगद, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ । | 500 |
| 3 | ग्रामवासियों मे वितरण हेतु | इमली, सीताफल, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 250 |
| 4 | विद्यालय मे | कदम, नीम, कचनार, गुलमोहर, अशोका, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 250 |
| | | योग | 1500 |

**15. <u>प्रकरण क्रमांक 8972/2022 – श्री सुनील कुमार नरवल, ग्राम बरेंदा तहसील बजग जिला डिंड़ोरी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 58,59 रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–5,003 मी.$^3$ ग्राम बरेंदा रैयत, तहसील बजग जिला डिंड़ोरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 58,59 रकबा 01.00 हेक्टेयर, ग्राम बरेंदा रैयत, तहसील बजग जिला डिंड़ोरी (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 461 दिनांक 28/10/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पायाा गया कि परियोजना स्थल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मे 30 मी. की दूरी पर एक शेड दिख रहा है जिसके संदर्भ मे पी.पी. ने बताया कि यह वेयर हाउस का शेड है तथा वे इस प्रकरण में ब्लास्टिंग नही करेगे एंव शेड से 100 मी. का सेड बैक छोडेगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि खनन कार्य के दौरान 13 पेड काटे जावेगे जिसके एवज मे अतिरिक्त 130 पौधे लगाने का

प्रस्ताव वृक्षारोपण योजना मे शामिल किया गया है। समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे प्रकरण जहां खनन कार्य ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर से किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है वहां डिस्प्ले बोर्ड पर हिन्दी में यह उल्लेखित किया जाये जिससे आस–पास के रहवासियों को इसकी जानकारी हो सके । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों (मोटाई, चौड़ाई एवं लम्बाई सहित) गणना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार 100 मीटर का सेट–बैक (प्रतिबंधित क्षेत्र) बिना उत्खनन् क्षेत्र दिखाते हुए सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/2/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –5,003 मी.3 प्रति वर्ष।
2. खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रतिबंधित। रॉक ब्रेकर से ही खनन कार्य किया जाये।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.37 लाख एवं रिक्रर्रिंग राशि रू. 4.50 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0..50 लाख :–

| | **सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि** | **राशि (रु. में)** |
|---|---|---|
| **आगामी 5 वर्ष तक** | स्कूल कैंपस में 50 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति –नीम,मौलश्री,पुत्रन्जीवा,कचनार,कदम । | 10,000 |
| | गाँव के आंगनवाड़ी में 1 वर्ष तक पोषण आहार | 40,000 |
| | योग | **50,000** |

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1880 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | शीशु, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खमेर, महुआ, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ। | 600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | नॉन माइनिंग जोन | साल, सीताफल, नीम, पीपल, आचार बरगद, करंज, खमेर एवं कटंग बांस | 730 |
| 3 | ग्राम में वितरण | मुनगा | 500 |
| 4 | विद्यालय में | मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम एवं नीम | 50 |
| | | योग | 1880 |

**16. <u>प्रकरण क्रमांक 8975/2022 – श्री फारूख शेख, ओनर, वार्ड न. 8 पुराना थाना रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 126/1, 126/2, 126/3, 150, 156, 158/1/2, रकबा 01.595 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–4,999 मी.$^3$, ग्राम क्यादी, तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 126/1, 126/2, 126/3, 150, 156, 158/1/2, रकबा 01.595 हेक्टेयर, ग्राम क्यादी, तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 108 दिनांक 27/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 04.456 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर नहर, 138 मीटर पर आबादी, एवं 165 एवं 217 मीटर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 20 मीटर पर रेल्वे लाईन है । प्रस्तुतीकरण के दौनान यह पाया गया कि स्वीकृत लीज 03 भागों मे है (ए–उत्तर मे , बी– पूर्व मे एंव सी – दक्षिण में ) तथा दक्षिण वाले भाग से आबादी 140 मी. है तथा 60 मी. का सेड बैक छोडा जाना होगा एंव सी– भाग जो कि दक्षिण मे है कि आधे मे पेड लगे है जिसको भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन माइनिंग झोन किया जाना होगा क्योकि उत्पादन क्षमता कम है । अतः नॉन माइनिंग झोन छोडने के बाद भी स्वीकृत उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना ।

✓ समिति के सुझाये अनुसार 200 मीटर का सेट–बैक (प्रतिबंधित क्षेत्र) बिना उत्खनन् क्षेत्र दिखाते हुए सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/2/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन** –4,999 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.56 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.96 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0..50 लाख :–

| **आगामी 5 वर्ष तक** | **सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि** | **राशि (रु. में)** |
|---|---|---|
| | स्कूल कैंपस में 50 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति – **नीम, मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम ।** | 10,000 |
| | **गाँव के** स्कूल में एक सेट कम्पयूटर एवं प्रिंटर | 30,000 |
| | योग | **40,000** |

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षा**रोप**ण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | **बैरियर जोन** | **शीशु, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।** | 1500 |
| 2 | **नॉन माइनिंग जोन** सम्पूर्ण ब्लॉक–ए, कुछ रकबा ब्लॉक–बी | नीम, बरगद, खमेर, जगंल जलेबी, गरारी, चिरोल, **सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।** | 600 |
| 3 | **ग्राम में वितरण** | कचनार, कदम, ईमली, आम एवं जामुन | 50 |
| 4 | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | ईमली, नीम, कटंग बॉस, चिरोल, करंज | 300 |
| 5 | **विद्यालय में** | **मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम** | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | योग | 2500 |

**17.प्रकरण क्रमांक 8998/2022 – श्री कमल राठौर, नई आबादी पासलोद तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 621 रकबा 02.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 14,578 मी.$^{3,}$ ग्राम महू, तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 621 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम महू, तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 32 दिनांक 04/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर–पूर्व दिशा में कच्चा रोड़ है जिस बाबत पी. पी. ने बताया कि कच्चे रोड से वे 10 मी. दूर है तथा 10 मी. का अतिरिक्त सेटबैक छोड देंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. एंव वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/02/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन –**14,578 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.36 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

| | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| आगमी 05 वर्ष | स्कूल कैम्पस में 50 वृक्ष ट्री–गार्ड नाम के साथ प्रजाति | 10,000 |

| | | |
|---|---|---|
| तक | नीम, मौलश्री, कचनार एवं कदम । | |
| एक वर्ष तक | गॉव की ऑनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण। | 50,000 |
| | **योग** | **60,000** |

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2450 पौधों का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | शीशू, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 1500 |
| 2 | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | ईमली, कटंग बॉस, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 900 |
| 4 | विद्यालय में | पुतरंजीवा, मौलश्री, कचनार, कदम, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 50 |
| | योग | | 2450 |

**18. <u>प्रकरण क्रमांक 9002/2022 – श्री अमित कुमार राय, वार्ड न. 9, दुर्गा मंदिर तहसील कुन्दम जिला जबलपुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 100/2, रकबा 2.40 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–12,008 मी.$^3$ ग्राम शलहगोरी तहसील शाहपुरा जिला डिंडोरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 100/2 रकबा 2.40 हेक्टेयर, ग्राम शलहेगोरी तहसील शाहपुरा जिला डिंडोरी (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 22/02/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रकरण संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय

कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 220 दिनांक 23/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पेड़ों (मोटाई, चौड़ाई एवं लम्बाई सहित) गणना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना ।
- ✓ समिति के सुझाये अनुसार उत्तर पूर्व दिशा मे पेडो के कारण 30 मीटर का सेट–बैक (प्रतिबंधित क्षेत्र) बिना उत्खनन् क्षेत्र दिखाते हुए सरफेस मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 22/2/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन** –12,008 मी.$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.98 लाख प्रतिवर्ष एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

| | सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|---|
| आगमी 05 वर्ष तक | स्कूल कैम्पस में 50 वृक्ष ट्री–गार्ड नाम के साथ प्रजाति नीम, मौलश्री, कचनार, कदम एवं पुत्ररंजीवा। | 10,000 |
| एक वर्ष तक | गॉव की ऑनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण। | 50,000 |
| | **योग** | **60,000** |

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2450 पौधों का वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | शीशू, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खमेर, | 1450 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | |
| 2 | नॉन माईनिंग जोन | शॉल, सीताफल, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खतेर एवं कटंग बॉस । | 2000 |
| 3 | परिवहन मार्ग (पेडो की न्यूनतम ऊचाई – 01 मीटर) | नीम, कटंग बॉस, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 100 |
| 4 | विद्यालय में | पुतरंजीवा, मौलश्री, कचनार, कदम, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 50 |
| | | योग | 3600 |

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    **नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊॅचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'B'**

**Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.

iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'C'**
**Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on

"Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'D'**
**General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.

12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply

with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.

33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.